लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **के. के. शर्मा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या / 05 / 2021 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः—02.02.2021
GCMS No.:-2021/50

श्री लाल सिंह पिता भैरूसिंह राणावत गांव मेहन्दूरिया पो. राजपूरा दरीबा, जिला राजसमन्द

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम—2005

निर्णय

दिनांक 23.02.2021

सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 28.11.2020 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 05 / 2021 / (23.02) / 130 दिनांक 02.02.2021 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 23.02.2021 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 23.02.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या 05 / 2021 (सू.अ.)
श्री लाल सिंह राणावत गांव मेहन्दूरिया जिला राजसमन्द बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/11 दिनांक 15.02.2021 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:–

1. यह कि प्रार्थी श्री लालसिंह पिता भैरूसिंह राणावत, निवासी मेहन्दूरिया, पोस्ट राजपूरा दरीबा, तहसील रेलमंगरा, जिला राजसमन्द द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र इस कार्यालय को दिनांक 04.12.20 को प्राप्त होना सही है।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही जा रही सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/राजस्व/मूल/14 दिनांक 09.02.2021 से अवगत कराया गया कि वांछित सूचना संबंधी पत्रावली राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/राजस्व/12–3(28) 08/744 दिनांक 23.07.2010 से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, चित्तौड़गढ़ को भिजवाई गई है। (प्रति पत्र के साथ संलग्न है।)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना जिला उद्योग केन्द्र, चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत आवेदन पत्र मूल ही इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/2681 दिनांक 11.02.2021 से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, चित्तौड़गढ़ को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना के संबंध में अवगत कराया गया। (प्रति पत्र के साथ संलग्न है।)
4. यह कि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र के संबंध में वांछित सूचना के संबंध में अवगत करा दिए जाने से अब इस प्रकरण पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 05/2021 (सू.अ.)
श्री लाल सिंह राणावत गांव मेहन्दूरिया जिला राजसमन्द बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/11 दिनांक 15.02.2021 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गई सूचना संबंधी पत्रावली जिला कार्यालय के राजस्व अनुभाग द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व/12–3(28) 08/744 दिनांक 23.07.2010 से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, चित्तौड़गढ़ को भिजवाई गई है, जिससे लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपीलार्थी का आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, चित्तौड़गढ़ को जरिये पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/2681 दिनांक 15.02.2021 से स्थानान्तरित करते हुए अपीलार्थी को भी इसकी सूचना दे दी गई।

यहां यह उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत आवेदनकर्ता द्वारा किसी लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी के यहां सूचना चाहने हेतु कोई आवेदन किया जाता है और उक्त आवेदन उस लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी से संबंधित नहीं है तो यह उस लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी का दायित्व है कि वह उक्त आवेदन को आवेदन प्रस्तुत होने की दिनांक से 5 दिवस के भीतर संबंधित लोक सूचना अधिकारी के यहां धारा 6 (3) के तहत स्थानान्तरित करे किन्तु लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ निर्धारित अवधि में संबंधित लोक सूचना अधिकारी को अपीलर्थी का आवेदन स्थानान्तरित करने में विफल रहे हैं। अतः लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति न हो।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 05 / 2021 (सू.अ.)
श्री लाल सिंह राणावत गांव मेहन्दूरिया जिला राजसमन्द बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गई सूचना संबंधी पत्रावली राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय के पत्रांक / राजस्व / 12–3(28) 08 / 744 दिनांक 23.07.2010 से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, चित्तौड़गढ़ को भिजवाई गई है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा अपीलार्थी का आवेदन भी संबंधित लोक सूचना अधिकारी को धारां 6 (3) के तहत स्थानान्तरित करते हुए, उसकी सूचना अपीलार्थी को भी उपलब्ध करा दी गई है जिससे इस प्रकरण में इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना चाहने हेतु महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, चित्तौड़गढ़ से सम्पर्क करें।

(के. के. शर्मा)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक / सरिश्ता / प्र.सं. / 05 / 2021(सू.अ.) / 181 दिनांकः– 23 / 02 / 2021

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़
2. श्री लालसिंह पिता भैरूसिंह राणावत गांव मेहन्दूरिया पोस्ट राजपूरा दरीबा, जिला राजसमन्द

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)